न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—274 / 2026
उत्पाद थाना कांड सं0—104 / 26
बिहार राज्य बनाम् उमेश प्रसाद।

उमेश प्रसाद, पे0—स्व0 नारायण प्रसाद, उम्र लगभग 45 वर्ष,
साकिन—खाण्डपर, थाना—शेखपुरा, जिला—शेखपुरा...आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री मनोज कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

13.03.2026 काराधीन अभियुक्त उमेश यादव की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 28.02.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड सं0—104 / 26 के धारा 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक द्वारा कोई अन्य नियमित जमानत या अग्रिम जमानत हेतु आवेदन दाखिल किसी भी न्यायालय में नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध इस मुकदमा के पूर्व में 1. उत्पाद थाना सनहा संख्या—52 / 2025, 2. शेखपुरा सनहा संख्या—812 / 2025 शराब पीने के जूर्म में गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिकी धारा 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 के अंतर्गत शराब पीने का आरोप दर्ज किया गया है, जो आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक एक मजदूरा है एवं मजदूरी का कमाने खाने वाला व्यक्ति है, जिसे पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़ा एवं झूठा केस में फंसाया है, जबकि आवेदक का मकान भी वही आस—पास है। आवेदक कानून का पालन करने वाला स्थानीय व्यक्ति है, जिसके जमानत पर छूटने के उपरांत फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 28.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का पूरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया है कि उक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि उत्पाद थाना दिनांक—27 / 02 / 2026 को समय करीब 07:00 PM पर गश्ती पर निकले थे, जिसमें गृहरक्षक एवं

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0–274/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–104/26
बिहार राज्य बनाम् उमेश प्रसाद।

लगातार

13.03.2026 सैप बल शामिल थे। गश्ती सह छापामारी के क्रम में शेखपुरा थाना अंतर्गत जमालपुर में दिलीप चौधरी के किराना एवं नाश्ता का दुकान के पास समय करीब 07:50 PM पर पहुंची तो देखी कि एक व्यक्ति छापामारी सह गश्ती दल को देखकर भागने का प्रयास किया, तो मेरे कहने पर गश्ती दल में शामिल सिपाही द्वारा उक्त व्यक्ति को दौड़कर जमालपुर में दिलीप चौधरी के किराना एवं नाश्ता का दुकान के पास पक्की सड़क के किनारे ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ के क्रम में व्यक्ति के मूंह से शराब का गंध आया, जिससे संदेह हुआ कि व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन किया गया है। तत्पश्चात उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना पता नाम उमेश प्रसाद, पे0–स्व0 नारायण प्रसाद, उम्र लगभग 45 वर्ष, साकिन–खाण्डपर, थाना–शेखपुरा, जिला–शेखपुरा बताया। तत्पश्चात पास में उपलब्ध ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने पर अल्कोहल की मात्रा 268mg/100ml पाया गया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए शराब पीने की पुष्टि होने पर उक्त व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तारी मेमो बनाकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उमेश प्रसाद, पे0–स्व0 नारायण प्रसाद के विरूद्ध पूर्व में भी उत्पाद थाना सनहा संख्या–52/2025 एवं 2. शेखपुरा थाना सनहा संख्या–812/2025 शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 07.03.2026 को धारा 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। आवेदक दिनांक 28.02.2026 से काराधीन है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक का जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है साथ ही यह निर्देश दिया जाता है आवेदक का एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे एवं इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––––

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे,

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा। **उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक** **जमानत आवेदन सं0—274/2026** **उत्पाद थाना कांड सं0—104/26** **बिहार राज्य बनाम् उमेश प्रसाद।**

लगातार

13.03.2026 3. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा
दिनांक 13—03—2026.

Date of Judgment/ Order	13—03—2026
Date of Reserving Judgment/Order	13—03—2026
Uploading Date	16—03—2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary